(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 115 **नई दिल्ली 29 जून 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन न्यास से निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं पर, संलग्न आदेशानुसार, पोतघाट शुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं.टीएएमपी/16/2008-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ..... आवेदक

आदेश
(जुलाई 2008 के 14 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए अंतिम पोतघाटशुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है।

2. एनएमपीटी ने कहा है कि केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क के लिए पोतघाटशुल्क दर की गणना संबंधित वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के संदर्भ से की गयी है। केआईओसीएल अयस्क के मामले में पोतघाटशुल्क दरें निर्धारित करने की पद्धति सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच दिनांक 27 मई 1992 को हुई अंतः-सचिवीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार है। उस वैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केआईओसीएल के लिए पोतघाटशुल्क दर नीचे दिये गये विभिन्न घटकों पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जानी चाहिए :-

(i). यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा ।
(ii). प्रहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय।
(iii). मूल्यह्रास
(iv). प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्ययों का हिस्सा।
(v). पूंजी पर ब्याज।
(vi). 6 % की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ।

3. एनएमपीटी ने कहा है कि वर्ष 2006-07 के लिए पोतघाटशुल्क दर की गणना, अलग अलग द्विपक्षीय अनुबंधों के अनुसार, एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच व्यय के विशेष तत्वों की हिस्सेदारी पर विचार करके की गई है। वर्ष 2006-07 के लिए अंतिम दर की गणना वास्तविक व्ययों के आधार पर की गई है और रु.129.16 प्रति मी.ट. निर्धारित की गयी है।

4. एनएमपीटी ने यह सूचित किया है कि केआईओसीएल द्वारा पोतघाटशुल्क की गणना की जाँच की गई है। घाटशुल्क की गणना के सत्यापन के पश्चात् केआईओसीएल ने लिखित रूप में यह पुष्टि की है कि वर्ष 2006-07 में उसके द्वारा प्रहस्तित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए पोतघाटशुल्क दर रु.129.16 प्रति मी.ट. है।

5. केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यात किये गये लौह अयस्क पर वर्ष 2006-07 के लिए रु.129.16 प्रति मी.ट. की दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव दरों के पिछले

प्रभाव से अनुमोदन का मामला है। यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक रहेगा कि संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनेवाले प्रशुल्क का प्रभाव, विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय, सामान्यरूप से होगा। वर्तमान मामले में, चूँकि दर का निर्धारण वास्तविक व्यय के कुछ घटकों के हिस्से के आधार पर भावी समय से किया जाना है, इसलिए वर्ष 2006-07 के लिए पोतघाटशुल्क दर को प्रभाव से अनुमोदित करना होगा। इसके अलावा, पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच सहमत दर पिछले तय करने के लिए कोई मतभेद नहीं है। यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातित लौह अयस्क के विषय में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-02, 2002-03, 2003-2004, 2004-05 और 2005-06 के लिए, इसी प्रकार से, पहले भी पोतघाटशुल्क दर अनुमोदित कर चुका था। कुद्रेमुख लौह अयस्क पर वर्ष 2005-06 के लिए घाटशुल्क की अनुमोदित दर रु.28.04 प्रति मी. टन थी।

6.1. केआईओसीएल ने अपने पत्र सं. केआईओसीएल/एफएसी/एमआर/3376 दिनांक 11 मार्च 2008 द्वारा, एनएमपीटी के माध्यम से अपने द्वारा निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए पोतघाटशुल्क की गणना हेतु विचारित पूँजी पर ब्याज के बारे में एक बिन्दु उठाया है। पत्तन के साथ परामर्श करते हुए अलग से इस मुद्दे की जाँच-पडताल की जा रही है।

6.2. प्रस्तावित पोतघाटशुल्क दर, सहमत कार्यप्रणाली पर आधारित है। केआईओसीएल ने अपने पत्र दिनांक 11 मार्च 2008 द्वारा उठाये गये मुद्दे के बावजूद, प्रस्तावित पोतघाटशुल्क दर के साथ ही प्रस्तावित पोतघाटशुल्क दर की गणना की कार्यप्रणाली की भी पुष्टि की है। चूँकि, दोनों पक्ष प्रस्तावित पोतघाटशुल्क दर पर सहमत हो गये है और प्रचलित पद्धति 10 वर्षों से ज्यादा से चालू है, यह प्राधिकरण उसे जारी रखने हेतु अनुमत्य करने के लिए प्रवृत्त है।

7. तदनुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन से निर्यातित लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए पोतघाटशुल्क दर रु.129.16 प्रति मी.ट. हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है।

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष